संख्या-32/2019/2897/22-2-2019-17(144)/2007

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 09 जनवरी, 2020**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निसार पुत्र मो0 सकलैन, निवासी जनपद-बुलन्दहशहर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33677/प्रोबे0अनु0(2)/सला0समिति/(एम 22-07-2019) दिनांक 19.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी निसार पुत्र मो0 सकलैन, जो सांखनी, थाना-जहांगीराबाद, जनपद-बुलन्दहशहर का रहने वाला है। बंदी ने अपने 20 सहअभियुक्तों के साथ आग्नेयास्त्रों व धारदार हाथियारों का प्रयोग कर दिनांक 01.02.1989 को अपने गांव सांखनी में शव दफनाने आये विरोधी पक्ष के 11 व्यक्तियों की हत्या कर दी एवं कई अन्य को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-245/1989 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 व 332/149 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 10.08.1992 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया है, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.05.1994 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 04.05.1995 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 03.11.2019 तक 29 वर्ष 08 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 50 वर्ष 01 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर की आख्या के अन्तर्गत बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने एवं बंदी द्वारा किया गया अपराध गांव की आपसी रंजिश तथा जाति तक ही सीमित होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर की आख्या के अन्तर्गत बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन एवं वर्तमान में विवाद समाप्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी से सम्बन्धित मा0 दण्डन न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया। प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं0-6, बुलन्दशहर के पत्र दिनांक 17.07.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि किसी भी दोषसिद्ध बंदी के समयपूर्व रिहाई किये जाने के सम्बन्ध में शासन निर्णय लेने हेतु सक्षम है। इस न्यायालय द्वारा बंदी निसार पुत्र सकलैन को दोष सिद्ध किया गया है। न्यायालय द्वारा समयपूर्व रिहाई किये जाने के सम्बन्ध में कोई मत व्यक्त नहीं किये जाने की आख्या अंकित की गयी है।

उल्लेखनीय है कि बंदी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में दाखिल रिट पिटीसन (क्रिमिनल) नं0-162/2019 में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2019 के अनुपालन में वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा के पत्र दिनांक 04.11.2019 द्वारा जिला स्तरीय मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 02.11.2019 उपलब्ध करायी गयी है, जिसके अनुसार बंदी **"Age related asthenia c BPH (I) c Lumbar spondylitis c mild anxiety disorder "** से ग्रसित है। मेडिकल बोर्ड द्वारा बंदी को एस0एन0 मेडिकल कालेज आगरा के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा पूर्व में परामर्शित उपचार प्रदान करने की सलाह दी गयी है। मेडिकल बोर्ड का मत है कि:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) No active medical intervention is needed at present.

(2) Patient keep on same treatmeant as advised at S.N Medical College Agra.

3- उक्त के दृष्टिगत सलाहकार समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर विचार विमर्श किया गया। समिति के सदस्यों का अभिमत है कि बंदी निसार पुत्र सकलैन द्वारा अपने 20 सहअभियुक्तों के साथ अग्नेयास्त्रों व धारदार हाथियारों का प्रयोग करते हुए विरोधी पक्ष के 11 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर की रिपोर्ट के अनुसार बंदी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करता है एवं विरोधी पक्ष से विवाद समाप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण बंदी की समयपूर्व रिहाई से समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट बुलन्दशहर द्वारा समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किये जाने के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी निसार पुत्र सकलैन को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- अत: रिट पिटीसन (क्रिमिनल) नं0-162/2019 में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2019 के अनुपालन तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी निसार (बन्दी संख्या-16622) पुत्र मो0 सकलैन, निवासी जनपद-बुलन्दहशहर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-32/2019/2897(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दहशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।

3- अधीक्षक/ नोडल अधिकारी जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दाखिल रिट पिटीसन (क्रिमिनल) नं0-162/2019 में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2019 के अनुपालन में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in